न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 109/2015 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. दाताराम पुत्र श्री ठाकरदास जाति अहीर निवासी ग्राम शाहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 – मृतक
1/1. श्रीमती हरबाई पत्नी स्व0 श्री दाताराम,
1/2. धर्मपाल,
1/3. रामसिंह पुत्रान स्व0 श्री दाताराम जाति अहीर निवासी ग्राम शाहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. जगदीश पुत्र बुद्धा जाति अहीर निवासी ग्राम शाहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर राज0 ।
3. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पोडेन्ट्स

4. प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री विजयसिंह अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री विनोद यादव राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 2 व 3

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.06.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय दिनांक 30.10.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी ख0 नं0 1509

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

रकबा 0.37 है0, 1512 रकबा 0.16 है0, 1181 रकबा 0.71 है0, 1537 रकबा 0.47 है0 का सालिम रकबा व 1379 रकबा 0.21 है0, 1398 रकबा 0.23 है0, 1399 रकबा 0.25 है0, 1424 रकबा 0.37 है0, 1440 रकबा 0.13 है0, 1467 रकबा 0.11 है0 का सालिम रकबा व गै0मु0 चाह ख0 नं0 1184 रकबा 0.07 है0, 1434 रकबा 0.05 है0, 1429 रकबा 0.05 है0 का हिस्सा 2/7 वाके मौजा शाहपुर तहसील बानसूर में स्थित है । विवादित आराजी दावे में अंकित खसरा नम्बरान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के बुजुर्ग मंगला पुत्र प्रेमा व बुद्धा पुत्र खूबा के हिस्से की बहिस्सा बराबर की पैतृक आराजी रही है जिस आराजी चाह पूर्व साबिक ख0 नं0 729 रकबा 13 बिस्वा कुआ कोठी वाला का 2/7 हिस्सा व इस कुए के नीचे लगने वाली कुल आराजी रोझवाला पूर्व साबिक ख0 नं0 664 मिन रकबा 3 बिस्वा का 2/7 भाग व कुआ रूझवाली के नीचे लगने वाली हिस्से की में आई कुल भूमि व पूर्व साबिक ख0 नं0 797 रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा वाके ग्राम मौजा शाहपुर की कुल भूमि वादी के पिता ठाकरिया के हिस्से में आयी थी और इसी कदर आज दिन भी वादी अपने बुजुर्गो के जीवनकाल से अपने–अपने हिस्से में अपने हिस्से की इस विश्वेदारी व खुदकाश्त व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं अर्थात कुआ कोठी जिसके कि आज दिन गुण व चाह के अलग–अलग दो नम्बर 1429, 1434 के हिस्से 2/7 पर व कुआ कोठी की आराजी हाल ख0 नं0 1179, 1398, 1399, 1424, 1440, 1467 के सालिम भाग पर वादी बहैसियत काबिज वारिस मृतक बुद्धा के काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा इसी प्रकार खातेदारी भी प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी के हिस्से की पूर्व साबिक ख0 नं0 797 रकबा 1 बीधा 17 बिस्वा जिसका कि साबिक ख0 नं0 1265 रकबा 1 बीधा 17 बिस्वा व हाल ख0 नं0 1537 रकबा 0.47 है0 वाके मौजा शाहपुर को बन्दोबस्त कर्मचारियों ने खिलाफ, पूर्व साबिक रेकार्ड व खिलाफ कब्जा मौका सम्वत् 2021 की मिसल बन्दोबस्त कायम करते समय गलत तरीके से गै0मु0 आबादी सिवायचक दर्ज कर दी जिस कारण से ही आज तक यह भूमि खिलाफ कब्जा मौका व खिलाफ साबिक रेकार्ड बेजा तरीके से हाल बन्दोबस्त द्धारा गै0मु0 सिवायचक आराजी दर्ज कर दी गई है जो गलत इन्द्राजात सिवायचक कतई गलत व खिलाफ साबिक रेकार्ड व खिलाफ कब्जा मौका होने के कारण वादी के हकूकों के प्रति बातिल व बेअसर है तथा नाकाबिल पाबन्दी है व काबिल दुरूस्ती बहक वादी है । राजस्व कर्मचारियों द्धारा सम्वत् 2013 की जमाबन्दी बनाते समय मुताबिक कब्जा मौका व मुताबिक आपसी विभाजन के कुआ कोठी चाह ख0 नं0 729 का 2/7 भाग व कुआ कोठी के नीचे लगनी वाली पूर्व साबिक ख0 नं0 730, 733, 725, 727, 746 की भूमि प्रतिवादी सं0 1 जगदीश के पिता बुद्धा के नाम व कुआ रूझवाली 664 मिन रकबा 6 बिस्वा व 664 मिन रकबा 25 बीधा 7 बिस्वा की शेष भूमि का प्रतिवादी सं0 1 के पिता बुद्धा व मिन वादी के पिता ठाकरसी के नाम अंकित करना चाहिए था किन्तु इसके विपरित दोनों स्थानों पर एक दूसरे का नाम उपरोक्त पूर्व साबिक खसरा नम्बरान की भूमि पर अंकित कर दिया जो कि कतई गलत व खिलाफ कब्जा मौका व खिलाफ विभाजन हिस्सेदारान होने के कारण वादी के हकूों के प्रति बातिल व बेअसर है तथा काबिल दुरूस्ती योग्य है । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 30.10.2015 को वादी का वाद आंशिक डिकी कर दिया

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

जिस निर्णय दि0 30.10.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि तहत न्यायालय के समक्ष समस्त राजस्व रेकार्ड अपीलांट की ओर से आराजी ख0 नं0 हाल 1537 रकबा 0.47 है0 गत ख0 नं0 1265 व सम्वत् 2021 में गत ख0 नं0 797 का प्रस्तुत किया गया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2013 व 2017 साक्ष्य में प्रस्तुत की जिसमें अपीलांट के पिता ठाकरसी को आराजी ख0 नं0 गत 797 का खातेदार काश्तकार दर्ज किया हुआ है लेकिन तहत न्यायालय ने उक्त राजस्व रेकार्ड को मानते हुए भी इसलिए दावा डिक्री नहीं किया कि विवादित आराजी गै0मु0 आबादी दर्ज है जबकि गै0मु0 आबादी भी खातेदार की भूमि होती है । प्रतिवादी/असल रेस्पो0 द्वारा भी वादी/अपीलांट के दावे का समर्थन किया गया तथा दावा डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है । इसके बावजूद भी तहत न्यायालय ने आराजी ख0 नं0 हाल 1537 रकबा 0.47 है0 का दावा डिक्री नहीं किये जाने में अहम कानूनी व तथ्यात्मक गलती की है । तहत न्यायालय ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सैटलमेन्ट विभाग ने गलती की है । किसी भी व्यक्ति की खातेदारी भूमि को आवंटित करने का कोई प्रावधान कानून में नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य, मौका, कानून, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गित न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए पारित किया है जो निरस्त योग्य है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि सैटलमेन्ट विभाग ने कोई गलती नहीं की है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । तहत न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2013 खाता सं0 185, 181 जमाबन्दी सम्वत् 2017 का खाता सं0 55 मिसल बन्दोबस्त खाता सं0 267 एवं मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2021, 2060 जमाबन्दी सम्वत् 2053 का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सम्वत् 2001 खेवत नं0 15/10 खतौनी नं0 108, 191 में मंगला वल्द प्रेमा व बुद्धा वल्द खूबा एक तिहाई हिस्से में बहिस्से बराबर–बराबर खातेदार दर्ज है । जमाबन्दी सम्वत् 2013 के खाता सं0 181 में ठाकरिया हिस्सेदार व खाता नं0 185 में बुद्धा हिस्सेदार दर्ज किया हुआ है । विवादित भूमि पूर्व साबिक ख0 नं0 725, 726, 727, 730, 733, 746, 663, 664, 729 पूर्व में अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि रही होना माना है । तहत न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में भी प्रतिवादी ने भी इस बात को स्वीकार किया है । सम्वत् 2013 की जमाबन्दी बनाते समय दोनों परिवारों की भूमि के विभाजन करने में चूक रही है जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

सम्वत् 2021 के भू–प्रबन्ध की मिसल बन्दोबस्त में भी दोहरायी गयी है । वादीगण द्वारा ख0 नं0 1537 रकबा 0.47 है0 किस्म गैर आबादी दर्ज है जो वर्तमान सम्वत् 2067 में खाता सं0 1 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत आरक्षित श्रेणी में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज होना जाहिर है । दोनों पक्षकारों ने तहत न्यायालय में ख0 नं0 1537 की खातेदारी चाही है जबकि ख0 नं0 1537 आरक्षित श्रेणी में है । साथ ही गे0मु0 आबादी किस्म दर्ज है । गै0मु0 आबादी में खातेदारी दिया जाना न्यायोचित नहीं माना है । इसलिए तहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, बानसूर के निर्णय दिनांक 30.10.2015 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner